राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – नांगलिया गुर्जरवास

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना पत्र सं.</u> 25/2011

1. बंशीधर पुत्र मामराज
2. संतराम पुत्र मामराज
3. रमेश पुत्र बनवारी नवीरा मामराज जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. श्योचन्द पुत्र श्योपाल
2. दाताराम पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी पटवार हल्का गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. ग्यारसीदेवी पुत्री श्योपाल पत्नी जगदीश जाति गुर्जर निवासी ढाणी गराटिया डाबला रेल्वे स्टेशन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
4. मेवा देवी पुत्री श्योपाल पत्नी रामेश्वर गुर्जर निवासी थानावाली ग्राम डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।
6. उप पंजीयक तहसील खेतड़ी।

.....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

दिनांक 07.06.2017

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि नव सृजित ग्राम देवनगर स्थित जमाबंदी संवत् 2065 लगायत 2068 के खाता सं. 66 के खसरा नंबर 1531 रकबा 0.13 है. ख.नं. 1532 रकबा 0.10 है., ख.नं. 1533 रकबा 0.10 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है. लगान 2.88 रू. के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 संयुक्त काबिज काश्त खातेदार है खातेदार रामचन्द्र अविवाहित बिना वारिश फौत हो गया। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का गत ख.नं. 1236 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा था जिससे हाल सेटलमेंट में नये खसरा नंबर 1531, 1532, 1533 बने है नवसृजित ग्राम देवनगर बनने से पूर्व यह भूमि ग्राम बाडलवास में थी। प्रार्थीगण की पूर्व ग्राम बाडलवास स्थित उक्त भूमि गत ख.नं. 1236 की भूमि पैतृक भूमि है। प्रार्थीगण के पिता मामराज तथा अप्रार्थीगण 1 से 4 के पिता श्योपाल दोनों सगे भाई थे और इस भूमि को शामिल में काश्त करते रहे थे। लेकिन उक्त भूमि अकेले अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के पिता के नाम चढ़ गई थी लेकिन जमाबंदी संवत् 2018 लगायत 2021 में दोनों उपकृषक काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के पिता ने अपने जीवनकाल करीब 35 वर्ष पहले इस भूमि का [illegible] अलग अलग काश्त करना शुरू कर दिया था जिसके अनुसार भूमि हाल ख.नं. 15[illegible] के हिस्से व कब्जे काश्त में तथा ख.नं. 1531 व 1532 अप्रार्थी[illegible] के कब्जे काश्त में है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 लगातार धमकी [illegible] कि उक्त भूमि हमारे नाम से इसलिये हम जबरन तुम्हारे हिस्से की भूमि ख.नं. 1533 पर कब्जा करेंगे और [illegible] भूमि काश्त नहीं करने देंगे व निर्माण कार्य करेंगे। इसलि[illegible] प्रार्थीगण के लिये यह आ[illegible] हो गया कि वे अपनी भूमि के अधिकार व हक तथा कब्जे को सुरक्षित रखने हेतु अप्रार्थी[illegible] लगायत 4 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.07 14:46:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. झुन्झुनूं (राज.)

पाबंद करवाये। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

(क) अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 1533 रकबा 0.10 है. पर जबरन कब्जा न करे तथा उक्त भूमि को किसी को भी विक्रय, दान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण न करे, निर्माण कार्य ना करे व सामग्री ना डाले। ऐसा न स्वयं करें तथा न ही अन्य किसी से करावे।

(ख) अप्रार्थी सं. 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं. 6 को भी पाबंद किया जावे कि उनके समक्ष अप्रार्थी सं. 1 से 4 कोई भी विक्रय पत्र, दान पत्र, रहननामा या अन्य हस्तान्तरण का दस्तावेज पेश करे तो उसे पंजीयन न करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया है तथा कथन किया है कि उक्त भूमि संवत् 2012 में श्योपाल पुत्र हरसहाय के नाम उसके अकेले के काश्त करने के कारण उसकी खातेदारी दर्ज हो गई थी। प्रार्थीगण के पूर्वज मामराज का इस भूमि से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। संवत् 2018 में राजस्व अधिकारियों की गलती या प्रार्थीगण के पूर्वज मामराज ने साजिश कर अपना नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया। इस भूमि को कभी प्रार्थीगण के पूर्वज या प्रार्थीगण ने कभी काश्त नहीं किया। इस भूमि पर पहले अप्रार्थीगण के पूर्वज श्योपाल का व अब अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण ने झुठा व आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2017 केम्प नांगलिया गुर्जरवास में पेश हुई। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जमाबंदी संवत् 2018 लगायत 2021 गत् खसरा नंबर 1236 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा श्योपाल पुत्र हरसाय गुजर सा.देह श्योपाल मामराज पि0 हरसाय गुजर सा.देह उप कृषक काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि भूमि गत् खसरा नंबर 1236 से हाल खसरा नंबर 1531, 1532, 1533 निर्मित हुए हैं। इस प्रकार उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः मूल वाद में साक्ष्य एवं सबूतों तथा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर दावे का निर्णय किया जाना उचित होगा तब तक अप्रार्थीगण को भूमि खसरा नंबर 1531, 1532, 1533 की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः इस न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13.04.2011 को ताफैसला वाद पुष्ट (Confirm) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से नांगलिया गुर्जरवास मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.07 14:46:20 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)